छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन मंत्रालय, रायपुर

(9)

//अधिसूचना//

रायपुर दिनांक 28.04.2012

क्रमांक एफ 4–11/2012/16:- असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है:-

(अ) योजना का प्रावधान :-

(i) योजना का नाम "असंगठित कर्मकार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना 2012" होगा।

(ii) पंजीकृत असंगठित कर्मकर जो गंभीर बीमारी से पीड़ित होने पर इलाज हेतु रूपये 50,000/-- की चिकित्सा सहायता प्रदान की जायेगी।

(iii) योजना के प्रावधान छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगा।

(iv) योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारी में किडनी, कैंसर, सिकलिंग, (सिकलसेल एनिमिया) हृदय रोग, एड्स एवं लकवा रोग सम्मिलित होंगे।

(ब) योजना की पात्रताः-

(i) योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रदेश असंगठित कर्मकारों का मण्डल में कम से कम 90 दिवस पूर्व पंजीयन होना आवश्यक है।

(ii) 18 से 60 वर्ष की उम्र के असंगठित कर्मकार इस योजना के लिए पात्र होंगे।

(iii) असंगठित कर्मकार का हिताधिकारी के रूप में अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत पंजीयन होना चाहिए।

(iv) योजना का लाभ एक बार प्राप्त होगा।

(iv) योजना का लाभ राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से प्राप्त कर रहा है, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रकिया :-

(i) असंगठित कर्मकार की चिकित्सा सहायता हेतु स्वतः द्वारा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत किये गये अधिकारी के कार्यालय को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।

..2

(10)

(ii) आवेदन पत्र के साथ संबंधित बीमारी के संबंध में विकासखंड चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। संबंधित चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र में संबंधित बीमारी के चिकित्सा खर्च की अनुमानित व्यय का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

(द) स्वीकृति का अधिकार :—

(i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर, सहायक श्रम आयुक्त अथवा श्रम पदाधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा नियुक्त 1 अन्य अधिकारी की समिति को होगा।

(ii) स्वीकृत किये गये राशि संबंधित हितग्राही को एकाउंट पेयी चेक के माध्यम से वितरण किया जावेगा।

(ई) विसंगति का निराकरण :—

(i) योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़, असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का इस संबंध में निर्णय अंतिम माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी.आर. मालवीय)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग
रायपुर दिनांक 28-04-2012

पृष्ठांकन क्र0 एफ 4-11/2012/16,

प्रतिलिपिः—

1. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर
4. श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर (छ.ग.)
6. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल, रायपुर (छ.ग.)
7. [illegible] (छ.ग.)

सचिव छत्तीसगढ़ भवन एव अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर (छ.ग.)

सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी.......................................(छ.ग.)

10 उप संचालक / सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, ...(छ.ग.)

11 उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव (छ.ग.) की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग